(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 715–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–10–2015 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 228/अपील/2012–13.

रामनारायण पिता भगवानदास गुर्जर
निवासी ग्राम बेहरागॉव तहसील रहटगॉव
जिला हरदा .....आवेदक

विरूद्ध

नंदकिशोर मृत की ओर से वारिसान
सरदार पटेल मृत की ओर से वारिसान
रीतेश पिता सरदार पटेल एवं अन्य .....अनावेदक

श्री एस0एस0सोंलकी, अभिभाषक–आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/12/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम खेडीखुशाल स्थित सर्वे कमांक 7/8, 7/9 व 7/10 कुल रकबा 8.51 एकड़ का सीमांकन कराये जाने पर 0.08 डिसमिल पर अनावेदक का अवैध कब्जा पाया गया, अतः उसके द्वारा कब्जा वापिस दिलाये जाने के लिये संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 5—4—2012 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के अंश भाग 0.08 डिसमिल एकड़ से अनावेदक को बेदखल करने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28—9—12 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 29—10—2015 को आदेश पारित द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) आवेदक की प्रश्नाधी भूमि का विधिवत् सीमांकन किया गया है जो कि दोनों पक्षों पर बन्धनकारी है, क्योंकि सीमांकन दोनों पक्षों एवं अन्य पंचों की उपस्थिति में किया जाता है ।

(2) तहसीलदार द्वारा विधिवत् अनावेदक के जबाव फील्डबुक, नक्शा व स्थल पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण का शूक्ष्म अध्ययन कर आदेश पारित किया गया था जिसे दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(3) आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे प्रकरण में पटवारी द्वारा मूल नकल नक्शा प्रस्तुत किया है उसमें देखेगे कि, आवेदक की कृषिभूमि उत्तर में आम रास्ता से लगी हुई खसरा नम्बर 7/8, 7/9 व 7/10 के पश्चात् एक रेखा उत्तर से दक्षिण तक अर्थात

13 खसरा नम्बर 13 जो एक नदी है तक खिंची हुई है उसके पश्चात् खसरा नम्बर 7/17 उसके पश्चात् दक्षिण की तरफ अर्थात नदी के उपर जो खसरा नम्बर 7/12, 7/13, 7/14एवं 7/16 एवं खसरा नम्बर 10 स्थित है वह भूमि भी नदी से लगी होकर आवेदक की पत्नी श्रीमती तुलसाबाई के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तथा नक्शे में खसरा नम्बर 9/13 पश्चिम की ओर दर्शाया गया है वह किसी अन्य कृषक का है । अब प्रस्तुत नक्शे में न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि पूर्व में दर्शित खसरा नम्बर 7/1, 7/2, 7/4 एवं 7/5 जो दर्शित है वह उत्तरवादी की कृषिभूमि है अब उपरोक्त नक्शे में देखेंगे और नक्शे में लगी टीप भी देखेंगे कि लाल स्याही से दर्शित क्षेत्र जो नदी के खसरा नम्बर 13 से अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर पुनः पूर्व की ओर गाढी स्याही से दर्शित है जो लगभग 0.08 एकड़ कृषि भूमि आवेदक की होकर अनावेदक द्वारा उस पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर उस भूमि को अनावेदक ने अपनी भूमि में समेकित कर लिया है, जो अनुचित है तथा अनावेदक सहित अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त 0.08 एकड़ भूमि नदी में बह जाना बता रहे हैं । अब यहा यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि आवेदक की मात्र 0.08 डिसमिल जमीन बह गई और अनावेदक की जमीन तथा आवेदक की पत्नि की जमीन नहीं बही है ऐसा संभव नहीं है । इस प्रकार दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा गोलमोल आदेश पारित करते हुये तहसील न्यायालय के आदेश को अपास्त करने में त्रुटि की गई है जो न्यायसंगत नहीं है ।

उनके द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता को 7 दिवस में लिखित प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने पर 0.08 डिसमिल भूमि पर अनावेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः उसके द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन

पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा विधिवत् उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये दिनांक 5–4–2012 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि 0.08 डिसमिल से अनावेदक को बेदखल करने का आदेश दिया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा केवल संभावनाओं के आधार पर आदेश पारित किया गया है, क्योंकि सीमांकन आदेश को अनावेदक द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है, अतः आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–9–12 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार का आदेश दिनांक 5–4–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर